मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
// मंत्रालय //

क्रमांक सी–3/7/2002/3/एक, भोपाल,दिनांक 8 अक्टूबर 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर/कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर तथा साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति।

संदर्भ :– इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 1/5/2000, 15/12/2000, 23/7/2001, 13/12/2001 एवं 16/8/2002

–0–

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर तथा साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के संबंध में नये निर्देश इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 01/05/2000 द्वारा जारी किये गये थे। तत्पश्चात् संदर्भित ज्ञापन दिनांक 15/12/2000, 23/07/2001, 13/12/2001 एवं 16/08/2002 द्वारा पूरक निर्देश जारी किये गये थे।

2– राज्य शासन ने अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी निर्देशों में निहित निम्नालिखित शर्तों को विलोपित करने का निर्णय लिया है :–

1. दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य यदि आयकरदाता हो, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(54)

2. परिवार में वयस्क होने पर भी दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के दिनांक से 3 माह से अधिक अवधि पश्चात् प्रस्तुत आवेदन अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचारणीय नही होगा।

3. यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार अथवा किसी सदस्य के पास 5 एकड़ सिंचित अथवा 10 एकड़ असिंचित भूमि हो, तो किसी भी आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4. यदि मृत शासकीय सेवक के परिवार में कोई वयस्क सदस्य न हो, तो उसकी मृत्यु दिनांक से 5 वर्ष तक वयस्क होने वाले सदस्य को ही, अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी।

3– अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्ते निर्धारित की जाती है :–

I. दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार से तात्पर्य है, उसकी धर्मपत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री तथा वह विवाहित पुत्री जिसके पति का देहांत हो चुका हो अथवा जो तलाकशुदा हो। दिवंगत शासकीय सेवक के दत्तक पुत्र/पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

II. दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य नियमित नौकरी/व्यवसाय में न हो, जिससे परिवार अपना भरण–पोषण कर सके, इसके लिये परिवार के सदस्यों का शपथ–पत्र लिया जाये।

III. अनुकम्पा नियुक्ति केवल चतुर्थ श्रेणी अथवा तृतीय श्रेणी (अकार्यपालिक) के निम्नतम पद पर दी जाये। यदि अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाले सदस्य ने तृतीय श्रेणी पद के लिये निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की तो उसके तृतीय श्रेणी (अकार्यपालिक) के पद पर नियुक्ति दी जाये, अन्यथा चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पद पर नियुक्ति दी जावे। तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जाये एवं सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने पर यह शर्त रखी जाये कि एक वर्ष के अन्दर वह निर्धारित अन्य अर्हताएं प्राप्त कर ले। यदि परिवीक्षा अवधि में आवेदक निर्धारित अन्य अर्हताएं प्राप्त नही

करता है, तो परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले उसकी सेवा समाप्त की जाये।

IV. यदि नियमित वेतनमान में पद उपलब्ध हों, तो मृतक शासकीय सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियमित पद पर ही दी जाये। नियमित पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अन्य पद पर नियुक्ति दी जाये।

4— कण्डिका—2 में उल्लेखित शर्तो के कारण पूर्व में जिन प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया था, उन प्रकरणों पद इन निर्देशो के तहत पुनर्विचार कर लिया जाये। कण्डिका—3 में उल्लिखित अतिरिक्त शर्ते इस ज्ञाप के जारी होने के दिनांक से लागू होगीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर/—
(एम.के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक/स्था./फ—3/अराज./ 6784 भोपाल,दिनांक 7/11/2002

प्रतिलिपि :—

1. समस्त वन संरक्षक मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रसंचालक एवं फील्ड डायरेक्टर मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविधालय, बालाघाट।
4. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रभारी स्थापना फ—1 कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) मध्यप्रदेश भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7.11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.)
मध्यप्रदेश, भोपाल